रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2907] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 2016/अग्रहायण 18, 1938
No. 2907] NEW DELHI, FRIDAY DECEMBER 9, 2016/AGRAHAYANA 18, 1938

indiacode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2016

का.आ. 3996(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1558(अ) तारीख 12 जून, 2015, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और उक्त राजपत्र, जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, की प्रतियां जनता को 12 जून, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रुप से विचार किया गया;

और, गौटाला अत्रम वन्यजीव अभयारण्य 20^0 14' 00" से 20^0 27' 29.787" उत्तर अक्षांश और 74^0 53' 30.782" से 75^0 16' 40" पूर्व देशांतर के बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद और जलगॉव जिलों में स्थित है और 260.61 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, गौटाला अत्रम वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद और नासिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संरक्षण एकक है और 30 से अधिक स्तनपायी प्रजातियों जिसके अंतर्गत अनुसूची एक प्रजातियाँ जैसे भेडिया *(कैनिस लुपुस पैल्लिपेस)*, तेंदुआ *(पेंथेरा पार्डस)*, रीछ *(मेलुरसस अरसिनस)*, काला हिरण *(एन्टिलोप करविकापरा)*, चौसिंगा मृग *(टेटरासेरस क्वोडरिकॉरनिस)*, प्रवासी प्रास्थिति की 20 प्रजातियों सहित पक्षियों की 210 से अधिक प्रजातियां और विभिन्न प्रकार के सरिसृपों, उभयचरों, मछलियों आदि का आश्रय स्थान है;

और, गौटाला अत्रम वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को परिरक्षण और संरक्षण करना आवश्यक है तथा जिसकी सीमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में पारिस्थितिक संवेदी जोन के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है और पर्यावरण की दृष्टि से उद्योगों या उद्योगों के वर्ग को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में गौटाला अत्रम घाट वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को गौटाला अत्रम घाट वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.**—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 483.45 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में गौटाला अत्रम वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला हुआ है और ऐसे जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध–I** में दिया गया है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन महाराष्ट्र में औरंगाबाद और जलगॉव जिलो के 70 ग्रामों में फैला हुआ है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-II** के रुप में उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध-III** के रुप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के प्रभावी प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, आंचलिक महायोजना ऐसी रीति में तैयार की जाए जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के भी अनुरूप हैं ।

(2) आंचलिक महायोजना अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तैयार शर्त के अनुरूप होगा जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव शामिल है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप भी तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश का सिद्धांत, यदि कोई हों, द्वारा तैयार की जाएगी ।

(4) आचंलिक महायोजना सभी संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारणों को उनमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन और वन्यजीव ;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग ।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जलाशयों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभर प्रबंधन, भूजल प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे पार्को और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यानों, झीलों और अन्य जलाशयों का अभ्यकंन करेगी; आंचलिक महायोजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का विवरण किया जाएगा ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीविका सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिक अनुकूल विकास को सुनिश्चित करेगी ।

(9) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए प्रावधानों के संबंध में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.—**राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रं. सं. 9, सं. 11, सं. 20, सं. 33 और सं. 36 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना;

(iv) वर्षा जल संचय; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं, :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

IndiaCode

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत**.—आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पारिस्थितिक पर्यटन.—**(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना के अनुसार पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे ।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंधित पर्यटकों के अस्थायी निवास के लिए आवासन के सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसार्ट के नए संनिर्माण गौटाला अत्रम वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होंगे ;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों के अनुसार पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, 2000 अंतर्गत तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण**.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण सामान्य मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट.—**ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना जी.एस. आर 343(अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना जी.एस.आर. 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना जी.एस.आर. 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **यानीय परिवहन**.—परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(14) औद्योगिक ईकाईयां.—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नहीं दी जाएगी ।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु या मृदा प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :		
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध होंगी । तथापि, वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना विद्यमान विनियमों के अनुसार अनुज्ञात होंगे । (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वथा होंगे ।
2.	नए उद्योगों के कारण प्रदूषण (जल, वायु, मिट्टी, ध्वनि, आदि) की स्थापना।	कोई नई या पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति दी जाएगी। हरित या श्वेत कृषि आधारित लघु उद्योगों सहित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्गीकरण के रूप में वर्गीकृत उद्योगों को नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
3.	नए बृहत जल विद्युत परियोजनों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जलाशयों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	कंपनियों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
7.	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
विनियमित क्रियाकलाप		
9.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे : परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरुप होगा ।

10.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 3 में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा : परन्तु यह और कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलापों को लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों सक्षम प्रधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से विनियमित किया जाएगा और न्यूनतम पर रखा जाएगा । (ख) एक किलोमीटर से परे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
11.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि, या कृषि आधारित उद्योग देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं अनुज्ञात होंगे ।
12.	वायु प्रदूषण ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।
13.	ध्वनि प्रदूषण ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों के अनुसार पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, 2000 अंतर्गत तैयार करेगा ।
14.	बहिस्राव का निस्सारण ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण सामान्य मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।
15.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
16.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
17.	वन उत्पादों और गैर-काष्ठ वन उत्पादों (एन टी एफ पी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	विद्युत और दूरसंचार टावरों और बिछाई गई केबलों और अन्य बुनियादी ढाँचों का परिनिर्माण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे और भूमिगत केबलों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा ।
19.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
20.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।

21.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों, हेलीकाप्टर, ड्रोन, आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
22.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
24.	स्थानीय समुदायों द्वारा लाई जा रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण विनियमित होंगे।
26.	वाणिज्यिक सतह और भूमिगत जल की निकासी।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
28.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
31.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
32.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
संवर्धित क्रियाकलाप		
33.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
34.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
36.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	जैव गैस, सौर प्रकाश आदि को बढावा देना होगा।
38.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
39.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
40.	निम्नीकृत भूमि या वन आवास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
41.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
42.	समुदाय प्रकृति भंडार।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।

5. मानीटरी समिति.—(1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i)	जिला कलेक्टर, औरंगाबाद	—अध्यक्ष;
(ii)	जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि, जलगांव	—सदस्य;
(iii)	जिला परिषद का प्रतिनिधि, औरंगाबाद	—सदस्य;
(iv)	जिला परिषद का प्रतिनिधि, जलगांव	—सदस्य;
(v)	राजस्व विभाग का प्रतिनिधि, महाराष्ट्र सरकार	—सदस्य;
(vi)	पर्यावरण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि -	—सदस्य;
(vii)	पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ	—सदस्य;
(viii)	महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव / सदस्य	—सदस्य;
(ix)	क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	—सदस्य;
(x)	ज्येष्ठ नगर योजना अधिकारी	—सदस्य;
(xi)	उप वन संरक्षक, वन्यजीव औरंगाबाद प्रभाग	—सदस्य;
(xii)	उप वन संरक्षक, जलगांव प्रभाग	—सदस्य;
(xiii)	उप वन संरक्षक, औरंगाबाद प्रभाग	—सदस्य सचिव ।

IndiaCode

निर्देश निबंधन :

(1) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी और मानीटरी समिति की अवधि तीन वर्ष की होगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, और जो पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

7. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/51/2014-ईएसजेड/आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

गौटाला अत्रम घाट वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का वर्णन

उत्तर	ग्राम खरादी का गट न. 58,1 से 6, 11, 20, 22, ग्राम विशनुनगर का गट न. 51,62, 54, 57, 3, 4, 5 ग्राम ओधरे का गट न. 138, 136 137, 191, 96, 97, 86, 95 ,94, 90, 85,99,101,84,83,104, ग्राम पटना का गट न. 272, 271, 273, 274, 257, 277, 278, 283, 284, 25, 293, 294, 295, 296, 303, 304, 305, 2, 1, 207, 209, 210, ग्राम वरथान का गट न. 177, 166 ग्राम चन्दीकावाडी का गट न. 6, 12, 16, 15, 14, 27, 35, 36, 108, 109, 110, 112, 113, 118, 117 ग्राम शिवपुर का गट न. 180, 183, 184, 185, 186, 131, 8, 120, 21, 119, 109, 110, 111, 107, 101, 100, 99, 97, ग्राम बोधरे का गट न. 42, 41, 40, 323, 45, 49, 48, 136, 132, 145, 165, 198, 199, 200, 206, 205, 202, 203, 225, 224, 242, 244, 253, 245, 251, 264, 266, 268, 269 ग्राम तलोदे का गट न. 111, 110, 109, 108, 50, 56, 55, 57, 52 ग्राम पथेरजी का गट नं. 81, 80, 87, 26, 27, 29, 28, 32, 15, 14, 13, 153, 147, 144, 143, ग्राम अम्बेहोल का गट न. 92, 93, 94, 164, 131, 132, 152, 1, 2, 34, 38, 63, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 163, 3, ग्राम लोनजे का गट न. 96, 95, 91, 89, 84, 85, 35, 48, 50, 163, 3, ग्राम सोनागाँव का (एन. वी.) गट न. 92, 91, 81,90, 89, 87, 86, 85,18, 19, 20, 21, 15, 13, 12, ग्राम बानगाँव का गट 26, 25, 23, 22, 21,13,14, ग्राम वाघरी का गट न. 37, 38, 39, ग्राम हताले का गट न. 36, 207, 206, 204, 203, 202, 197, 199, 189, 219, 220, 168, 169, 170, 157 से 162, 231,152, 150, ग्राम वघाले का गट न. 24, 22, 23, 2 ग्राम कोनगानगर का गट न. 14 से 17 28, 27 ग्राम जावले का गट न. 81, 82, 79, 55, 56, 59, 60, 43 से 50 ग्राम चमभारदी खुर्द का वन कम्पार्टमेंट न. 315ए, ग्राम जमदी का प्रो

	बहल का गट न. 112 से 115, 109, 108, 101, 102, 103, 106, 64 से 68, चालीसगाँव का तहसील जलगाँव जिला का जलगाँव वन प्रभाग, ग्राम वडगाँव जहाँगिर का गट न. 24, 21, 22, 19, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 45, 44, 26, 25, ग्राम हसनबाद का गट न. 46,44, ग्राम शिवतनदा का गट नं. 3, 5, ग्राम सायगवान का गट नं. 28, 214, 217, 216, 319, 320,295 से 301, 294, 27, 30,138, 130, 129, 83, 82, 85, 137, 140, 336, 337, 329, 328, 10 से 13, 22, 23, 24, 25, 28 से 31, 34, 35, 36, 275, 276, 277, ग्राम बोरमल तनदा का गट न. 63, 62, 27 से 29, 19, 18, ग्राम पनगरा का गट न. 49, 47, 46, 42, 43, 44, 24, 23, ग्राम लोनजा का गट न. 31, 30, 40, 54, 53, 49, 48, 47, ग्राम भोपेवाडी का गट न. 126, 125, 114, 101, 99, 102, 92, 79, 81, 82, 83 जिला औरंगाबाद कान्नद तहसील का औरंगाबाद वन प्रभाग ।
पूर्व	ग्राम दसतापुर का वन कम्पार्टमेंट न. 451, गट न. वन कम्पार्टमेंट न. 450, ग्राम शिपघाट का वन कम्पार्टमेंट न. 455, गट न 4, 3, 56, 57, 58, 51, 47, 46, 33 से 38, 25, 26, ग्राम नागापुर का गट न. 64,72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 53, 54, 55, 46, 39 से 43, 33, 16 से 19, 14, 277, ग्राम वादी चिमनापुर का गट न. 17, 24, 23, 22, ग्राम अम्बेगाँव खुर्द का गट न. 41 से 46, 55, 54, 5, 6, 8, ग्राम अम्बेगाँव बदरुक का गट न. 127, 123, 125, 122, 112, 115, 114, 74 से 78, 66, ग्राम सवरगाँव का गट न. 75, 77, 78, 79, 94 से 96, 132, 150,151,152,149, 9, 13,140 से 147,135 से 138, 129, 128, 112, 113, 124, 116 से 118, ग्राम अम्बरखेडा का गट न. 48, 49, 50, 53, 52, 63, 65, 51, ग्राम धामनी खुर्द का गट न. 67, 62, 68, 53, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 36 ग्राम नागापुर का गट न. 205,199 से 203,195,185 से 191,177 से 180,171 से 174, ग्राम खटखेड़ा का गट न. 153, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, वन कम्पार्टमेंट. न 76, ग्राम सखरवेल का गट न. 137, ग्राम वसादी का गट न. 164, 165, 167 से 169, 171, 172, 173, 175, 176, 181, 198, 199, 208, 209, 210, 211, 16, 17, 45, 46, 48, 49, 57, 56, 51, 55, 50, 47, 44, 43, 37, 19, 36, 33, 28, 27, 20, 21, 22, 26, 25, 575, 571, 569, 568, 435, 436, 378, 381, 382, 387, 426, 425, 427, 428, 429, 430, ग्राम मेहगाँव का गट न. 258, 12, 13, 264, 10, 82, 73, 75, 78, 279, 86, 88, 109, 106, 108, 134, 139, 95, 282, 203, 212, 187, 186, 184, 181 जिला औरंगाबाद कान्नद तहसील का औरंगाबाद वन प्रभाग ।
दक्षिण	ग्राम हसता का गट न. 78, 79, 82, 83, 30, 36, 43, 38, 37, 26, 27, 25, 23, 22, 1, 379, 358, 361, 354, 353, 327, 326, 324, 316, 312, 310, 311, 318, 308, 319, 320, 306, 302, 301, 300, 297, 298, 299, 244, 245, 248, 249, 252, 253, 231, 230, 221, 222, 224, 225, 226, वन कम्पार्टमेंट. न. 64, ग्राम हिवारखेडा खुर्द का वन कम्पार्टमेंट न. 167, गट न. 52 ग्राम कुंजखेडा का गट न. 71, 20,19,18, 22, 21,24,13, 25,11,10, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 45, 1, 2, 3, 122, 123, 118,

IndiaCode

	ग्राम दोभदी का गट न. 143, 144, 145, 147, 140, 135, 93, 97, 98, 80, 76, 75, ग्राम रिठी का गट न. 15, 17, 37, 36, 49 ,45, 44, 43, 41, 95, 94, 87, 82, 81, 80, 77, 78, 79, 64, 65, 63, 55, 56, 57, 58, 61, ग्राम कान्नद का गट न. 63, 18, 19, 23, 22, 27,115,116,118,121, ग्राम नरसिंगपुर का 27,28, ग्राम ब्रामनी गरदा का गट न. 3, 4, 5, 6, 104, 103, 105,106, 112, 118, 158, 124, 150, ग्राम हिवारखेडा गौटाला का गट न. 32, 31, 44, 45, 43, 47, ग्राम अन्धानियर का गट न. 96, 94, 93, 122, 124, 40, 41, 42, 24, ग्राम तेलवाडी का गट न. 61, 60, 49, 48, 47 ग्राम सतकुण्ड तनदा का गट न. 68, 69, 74, 75, 76, 78, 13, 8, 25, 27, 42, 53, 54, 52, 51, 81, 80, 82, 83, 84,1 ग्राम उपला का गट न. 39 से 43, 50, 35, 34, 33, 67, 68,142,147, 146, 191, 189, 187, 185, 184, 183, 186, 185, 156, 157, 158, 177,178, 179,180,181, ग्राम अम्बा का गट न. 63, 54, 53, 52, 50, 49, 47, 55, 44, 43, 42, 40, 41, 39, 78, 79, 80, 77, 76, 84, 231, 232, 233, 235, 242, 243, 241, 240, 252, 258, 225, 238, 236, 229, 228, 227, 226, 22388, 87,12,10,14,104, 108, 107, 106, 120, 126, 130, 131, ग्राम मदवाडी का गट न. 351, 350, 296, 295, 294, ग्राम जमदी घाट का गट न. 56, 54, 53, 41, 42, 43, 44, 33, 34, 35, ग्राम वादनियर का गट न. 48, 49, 8, 9, 10, 50, ग्राम वादनियर का तनदा गट न. 75, 76, 77, 1, 2, 3, 127, 128, 130, 131,132,133, ग्राम कालन्की का वन कम्पार्टमेंट न. 122, 120, गट न. 189, 188, 177, 176, 175, 174, 173, 166, 165, 1, 12, 13, 14, 15, 18, 23, 24, 25, 27, 30, 29, 28, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 253, 255, 248, 250, 251, 247, 255, 232, 231, 230, 223, 224, 225, 226, 229, ग्राम तनदुलवाडी का वन कम्पार्टमेंट न. 325, ग्राम चिवाली गट न. 45, 44, 36, 37, 38, 2, 3, 5, 9, 18, 19, 20, 21, 25, 22, 23, जिला औरंगावाद कान्नद तहसील का औरंगाबाद वन प्रभाग । ग्राम गजरदरी का गट न. 13 से 23 जिला जलगाँव तहसील चालीसगाँव का जलगाँव वन प्रभाग।
पश्चिम	ग्राम राजदेहरे का वन कम्पार्टमेंट न. 2, 6, 8 और गट न 17, 20, 65, 67,62, 59, 57, 56, जिला जलगाँव तहसील चालीसगाँव का जलगाँव वन प्रभाग ।

उपाबंध – II

<u>गौटाला अत्रम वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची</u>

क्र. सं.	ग्राम के नाम	अक्षांश	देशांतर	क्र. सं.	ग्राम के नाम	अक्षांश	देशांतर
1	चिवाली	20° 16' 07.587"	74° 56' 52.270"	3	वदनेर तनदा	20° 16' 49.853"	75° 01' 01.079"
2	कालनकी	20° 16' 50.758"	74° 59' 25.137"	4	वदनेर	20° 16' 51.883"	75° 01' 49.613"

5	जमदी घाट	20° 16' 53.830"	75° 02' 27.619"	20	नन्दगिरवाडी	20° 15' 57.154"	75° 13' 08.579"
6	अम्बा	20° 17' 39.994"	75° 02' 01.483"	21	हसता	20° 17' 13.487"	75° 13' 33.159"
7	अम्बाला	20° 18' 29.151"	75° 00' 54.364"	22	तपोवन	20° 19' 17.195"	75° 12' 22.022"
8	उपला	20° 18' 33.277"	75° 03' 53.356"	23	निमभोरा	20° 19' 05.054"	75° 13' 44.611"
9	भामबरवाडी	20° 19' 19.308"	75° 04' 22.808"	24	मेहेगाँव	20° 17' 26.965"	75° 15' 32.397"
10	सतकुण्ड तनदा	20° 18' 16.086"	75° 06' 11.571"	25	वसदी	20° 18' 23.188"	75° 15' 20.871"
11	अन्धानेर	20° 17' 55.963"	75° 06' 52.687"	26	धमनी बी के	20° 20' 20.421"	75° 15' 12.846"
12	हिवरखेडा	20° 17' 49.159"	75° 07' 44.224"	27	सवरगाँव	20° 21' 07.626"	75° 13' 51.304"
13	गौताला	20° 18' 31.969"	75° 08' 27.759"	28	अम्बरखेडा	20° 21' 20.004"	75° 13' 03.809"
14	ब्रमभानी गरदा	20° 18' 09.585"	75° 09' 02.454"	29	अम्बेगाँव के डी	20° 22' 24.644"	75° 14' 36.967"
15	रिठी	20° 16' 21.762"	75° 09' 53.612"	30	वदीचीमनापुर	20° 22' 42.304"	75° 14' 36.836"
16	मोहरदा	20° 15' 39.934"	75° 10' 10.902"	31	चिमनापुर	20° 23' 12.708"	75° 14' 44.221"
17	कसाबे कन्नाद	20° 15' 16.193"	75° 10' 09.918"	32	खोलापुर	20° 24' 17.404"	75° 15' 03.062"
18	दोभादी	20° 15' 00.390"	75° 10' 39.284"	33	शपघाट	20° 24' 11.500"	75° 15' 28.862"
19	कुंजखेडा	20° 15' 09.631"	75° 11' 38.868"	34	कलदरी	20° 25' 02.990"	75° 14' 29.358"

IndiaCode

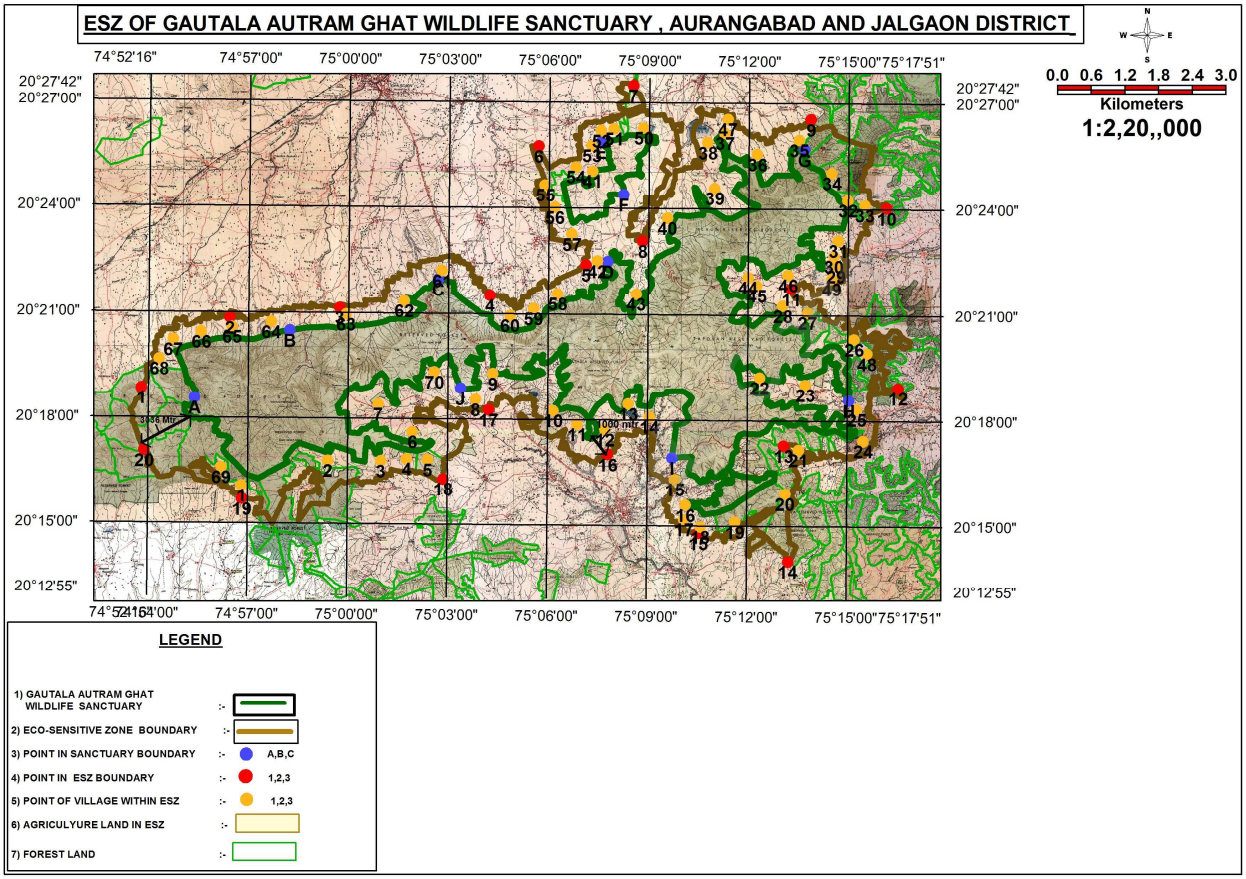
35	भोपेवाडी	20° 26' 01.101"	75° 13' 30.380"	51	जवाले	20° 26' 19.769"	75° 07' 56.504"
36	लोनजा	20° 25' 38.504"	75° 12' 12.638"	52	कोनगानगर	20° 26' 16.830"	75° 07' 31.351"
37	बोरमल तनदा	20° 26' 11.804"	75° 11' 19.149"	53	वगहाले	20° 25' 50.235"	75° 07' 16.929"
38	वडगाँव	20° 25' 56.679"	75° 10' 46.479"	54	हताले	20° 25' 16.356"	75° 06' 47.346"
39	हरसवाडी	20° 24' 36.171"	75° 10' 56.470"	55	बनगाँव	20° 24' 44.486"	75° 05' 50.821"
40	साईगवान	20° 23' 48.701"	75° 09' 36.058"	56	सोनगाँव	20° 24' 03.823"	75° 06' 15.156"
41	हसनाबाद	20° 25' 07.207"	75° 07' 19.619"	57	लोनजे	20° 23' 17.114"	75° 06' 43.050"
42	शिव तनदा	20° 22' 32.733"	75° 07' 27.893"	58	अम्बेहोल	20° 21' 37.057"	75° 06' 21.041"
43	भिलदरी नागड	20° 21' 38.622"	75° 08' 42.070"	59	पथराजे	20° 21' 10.224"	75° 05' 34.445"
44	मेहुन पुरनवाडी	20° 22' 05.944"	75° 12' 01.426"	60	तलोदे	20° 21' 01.074"	75° 04' 51.215"
45	रामपुरवाडी	20° 21' 55.550"	75° 12' 14.966"	61	बोधरे	20° 22' 15.200"	75° 02' 46.520"
46	अम्बरखेडा तनदा	20° 22' 11.388"	75° 13' 12.201"	62	शिवपुर	20° 21' 23.912"	75° 01' 39.657"
47	पंगरा	20° 26' 36.126"	75° 11' 24.817"	63	चन्डीका वाडी	20° 21' 00.480"	74° 59' 56.280"
48	खटखेडा	20° 19' 59.885"	75° 15' 37.719"	64	पटना	20° 20' 47.274"	74° 57' 42.388"
49	अम्बेगाँव बी के	20° 22' 03.090"	75° 14' 32.444"	65	ओधरे	20° 20' 37.329"	74° 56' 32.841"
50	जमदी	20° 26' 22.380"	75° 08' 53.277"	66	विश्वुनगर	20° 20' 30.252"	74° 55' 37.314"

IndiaCode

67	खरदी	20° 20' 16.572"	74° 54' 44.776"	69	गुजरदरी	20° 16' 37.076"	74° 56' 13.395"
68	राजदेहरी	20° 19' 43.811"	74° 54' 21.091"	70	जुनूने	20° 19' 21.256"	75° 02' 35.133"

उपाबंध III

मुख्य अवस्थानों के निर्देशांकों के साथ गौटाला अत्रम वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



गौटाला अत्रम वन्यजीव अभयारण्य के भू-निर्देशांकों का विवरण

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
ए	20° 18' 32.891"	74° 55' 21.574"
बी	20° 20' 30.381"	74° 58' 12.075"
सी	20° 22' 02.199"	75° 02' 41.731"
डी	20° 22' 32.601"	75° 07' 47.408"
ई	20° 25' 58.293"	75° 07' 30.823"
एफ	20° 24' 23.616"	75° 08' 14.501"

जी	20° 25' 41.547"	75° 13' 47.898"
एच	20° 18' 34.597"	75° 15' 05.672"
आई	20° 16' 53.921"	75° 09' 45.727"
जे	20° 18' 56.024"	75° 03' 20.618"

गौटाला अत्रम वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू-निर्देशांकों का विवरण

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
1	20° 18' 50.721"	74° 53' 47.744"
2	20° 20' 50.067"	74° 56' 26.805"
3	20° 21' 07.705"	74° 59' 44.878"
4	20° 21' 30.551"	75° 04' 15.505"
5	20° 22' 25.158"	75° 07' 06.770"
6	20° 25' 43.750"	75° 05' 39.518"
7	20° 27' 29.787"	75° 08' 30.451"
8	20° 23' 04.601"	75° 08' 49.090"
9	20° 26' 32.968"	75° 13' 49.947"
10	20° 24' 02.804"	75° 16' 08.767"
11	20° 21' 44.300"	75° 13' 17.557"
12	20° 18' 55.136"	75° 16' 32.011"
13	20° 17' 18.403"	75° 13' 04.041"
14	20° 14' 00.173"	75° 13' 14.537"
15	20° 14' 46.286"	75° 10' 32.602"
16	20° 17' 00.631"	75° 07' 47.932"
17	20° 18' 15.561"	75° 04' 15.139"
18	20° 16' 17.365"	75° 02' 51.071"
19	20° 15' 42.415"	74° 56' 48.634"
20	20° 17' 06.070"	74° 53' 49.594"

IndiaCode

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए कार्यवाही किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2016

S.O. 3996(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1558(E), dated the 12th June 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 12th June 2015;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the **Gautala Autramghat Wildlife** Sanctuary is situated in Aurangabad and Jalgaon Districts of Maharashtra between 20° 14' 00" to 20° 27' 29.787" North Latitude and 74° 53' 30.782" to 75° 16' 40" East Longitude and extends over an area of 260.61 square kilometres;

AND WHEREAS, the Gautala Autramghat Wildlife Sanctuary is an important conservation unit in Aurangabad and Nashik region of Maharashtra State and harbours more than 30 species of mammal including schedule I species like Wolf (*Canis lupus pallipes)*, Leopard (*Panthera pardus)*, Sloth Bear (*Melursus ursinus)*, Black Buck (*Antilope cervicapra)*, Four Horned Antelope (*Tetracerus quadricornis)*, more than 210 species of birds including 20 species of migratory status and a variety of reptiles, amphibians, fishes etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Gautala Autramghat Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and process in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986), read with sub- rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of up to one kilometer from the boundary of Gautala Autramghat Wildlife Sanctuary in the State of Maharashtra as the

Gautala Autramghat Wildlife Sanctuary Eco- sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.—(1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 483.45 square kilometres with an extent of up to one kilometre from the boundary of Gautala Autramghat Wildlife Sanctuary and the boundary description of the said Zone is given in **Annexure I**.

(2) The Eco-sensitive Zone is spread across 70 villages in Aurangabad and Jalgaon Districts in Maharashtra.

(3) The list of the villages falling within Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure II.**

(4) The map of the Eco-sensitive Zone along with latitudes and longitudes is appended as **Annexure III.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.—(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for consideration and approval of the State Government.

(2) The Zonal Master Plan so prepared shall be commensurate with the stipulation specified in this notification and include the environmental implications.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj ;

(xi) Public Works Department.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes, wetlands and other water bodies and also with supporting maps; the Zonal Master Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions with respect to the provisions given in this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:—

IndiaCode

(1) **Land use.—**Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 9,11, 20, 33 and 36 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;

(ii) small scale industries not causing pollution;

(iii) widening and strengthening of existing roads;

(iv) rainwater harvesting; and

(v) cottage industries including village artisans:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.—**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the catchment management plan shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit or restrict development activities within the catchment areas.

(3) **Tourism.—**(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Maharashtra in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Maharashtra.

(c) The activities of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometre from the boundary of the Gautala Autramghat Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.—**All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.—**Buildings, structures, artefact areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.—**The Environment Department of the State Government or Maharashtra State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986

(7) **Air pollution.—**The Environment Department of the State Government or Maharashtra State Pollution Control Board shall implement standards and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rule made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.—**The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder.

(9) **Solid waste.—**Disposal of solid waste shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357(E), dated the 8th April, 2016, as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid waste into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical wastes.—**The Bio-Medical waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343(E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Plastic Waste Management.—**The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management.—**The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **Vehicular traffic**.—The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Act and the rules and regulations made thereunder.

(14) **Industrial units.—**

(a) No establishment of new wood based industries within the Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil or noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.—**All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial mining	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including

		digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No. 435 of 2012.
2.	Setting of new industries causing pollution (water, air, soil, noise, etc.).	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. Industries categorised as Green or White in the Central Pollution Control Board Classification including agro-based small scale industries, shall be regulated as per regulations.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre, it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.

12.	Air pollution.	Regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.
13.	Noise pollution.	The Environment Department of the State Government or Maharashtra State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986
14.	Discharge of effluents.	The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder.
15.	Setting up of brick kilns.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws
16.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
17.	Collection of forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
18.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law and underground cabling may be promoted.
19.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
21.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
22.	Protection of hill slopes and river banks	Regulated under applicable laws.
23.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
24.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
25.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated effluent shall be regulated as per applicable laws.
26.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
27.	Open well, bore well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity shall be strictly monitored by the appropriate authority.
28.	Solid waste management.	Regulated under applicable laws.
29.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
30.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.

31.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
32.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy.	Bio gas, solar light, etc. to be actively promoted
38.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
39.	Skill development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of degraded land/ forests/ or habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.
42.	Community Nature Reserves.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.—The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this notification comprising of the following, namely:-

(i) District Collector, Aurangabad —Chairman;

(ii) representative of District Collector, Jalgaon —Member;

(iii) representative of Zilla Parishad, Aurangabad —Member;

(iv) representative of Zilla Parishad, Jalgaon —Member;

(v) representative of Department of Revenue, Government of Maharashtra —Member

(vi) a representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Maharashtra for a period of three years —Member;

(vii) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra —Member;

(viiii) Member- Secretary or Member of the Maharashtra State Biodiversity Board —Member;

(ix) Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board, —Member;

(x) Senior Town Planning Officer —Member;

(xi) Deputy Conservator of Forests, Wildlife Aurangabad Division —Member;

(xii) Deputy Conservator of Forests, Jalgaon Division —Member;

(xiii) Deputy Conservator of Forests, Aurangabad Division —Member-Secretary.

Terms of reference.-

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification and the tenure of the Committee shall be for a period of three years.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4

IndiaCode

thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/51/2014-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure I

Description of Boundary of Gautala Autramghat Wildlife Sanctuary

North	Village Kharadi's Gat No. 58,1 to 6, 11, 20, 22, Village Vishnunagar's Gat No. 51,62, 54, 57, 3, 4, 5 Village Odhre's Gat No.138, 136 137, 191, 96, 97, 86, 95, 94, 90, 85, 99, 101, 84, 83, 104, Village Patna's Gat No. 272, 271, 273, 274, 257, 277, 278, 283, 284, 25, 293, 294, 295, 296, 303, 304, 305, 2, 1, 207, 209, 210, Village Varthan's Gat No. 177, 166 Village Chandikawadi's Gat No 6, 12, 16, 15, 14, 27, 35, 36, 108, 109, 110, 112, 113, 118, 117 Village Shivpur's Gat No. 180, 183, 184, 185, 186, 131, 8, 120, 21, 119, 109, 110, 111, 107, 101, 100, 99, 97, Village Village Bodhre's Gat No. 42, 41, 40, 323, 45, 49, 48, 136, 132, 145, 165, 198, 199, 200, 206, 205, 202, 203, 225, 224, 242, 244, 253, 245, 251, 264, 266, 268, 269 Village Talode's Gat No 111, 110, 109, 108, 50, 56, 55, 57, 52 Village Patherje's Gat No 81, 80, 87, 26, 27, 29, 28, 32, 15, 14, 13, 153, 147, 144, 143, Village Ambehol's Gat No 92, 93, 94, 164, 131, 132, 152, 1, 2, 34, 38, 63, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 163, 3, Village Lonje's Gat No 96, 95, 91, 89, 84, 85, 35, 48, 50, 163, 3, Village Sonagaon's (N.V.) Gat No 92, 91, 81, 90, 89, 87, 86, 85,18, 19, 20, 21, 15, 13, 12, Village Bangaon's Gat No 26, 25, 23, 22, 21,13,14, village Waghri's Gat No. 37, 38, 39, Village Hatale's Gat No 36, 207, 206, 204, 203, 202, 197, 199, 189, 219, 220, 168, 169, 170, 157 to 162, 231,152, 150, Village Waghale's Gat No 24, 22, 23, 2 Village Konganagar's Gat No 14 to 17 28, 27 Village Jawle's Gat No 81, 82, 79, 55, 56, 59, 60, 43 to 50 Village Chambhardi Khurd's Forest Compartment No 315A, Village Jamdi's Pr.Bahal's Gat No 112 to 115, 109, 108, 101, 102, 103, 106, 64 to 68, of Tehsil Chalisgaon. Jalgaon District Jalgaon Forest Division, Village Vadgaon Jahagir`s Gat No. 24, 21, 22, 19, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 45, 44, 26, 25, Village Hasnbad's Gat No. 46, 44, Village Shivtanda's Gat No. 3, 5, Village Saygavan's Gat No. 28, 214, 217, 216, 319, 320, 295 to 301, 294, 27, 30,138, 130, 129, 83, 82, 85, 137, 140, 336, 337, 329, 328, 10 to 13, 22, 23, 24, 25, 28 to 31, 34, 35, 36, 275, 276, 277, village Bormal tanda's Gat No. 63, 62, 27 to 29, 19, 18, Village Pangra's Gat no. 49, 47, 46, 42, 43, 44, 24, 23, village Lonza's Gat No. 31, 30, 40, 54,

IndiaCode

	53, 49, 48, 47, Village Bhopewadi's Gat No. 126, 125, 114, 101, 99, 102, 92, 79, 81, 82, 83 of Tehsil Kannad District Aurangabad, Aurangabad Forest Division.
East	Village Dastapur's Forest Compartment No. 451, Gat No. Forest Compartment No 450, Village Shipghat's Forest Compartment No. 455, Gat No 4, 3, 56, 57, 58, 51, 47, 46, 33 to 38, 25, 26, Village Nagapur's Gat No. 64, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 53, 54, 55, 46, 39 to 43, 33, 16 to 19, 14, 277, Village Wadi Chimnapur's Gat No. 17, 24, 23, 22, Village Ambegaon Khurd's Gat No. 41 to 46, 55, 54, 5, 6, 8, Village Ambegaon Budruk's Gat No. 127, 123, 125, 122, 112, 115, 114, 74 to 78, 66, Village Sawargaon's Gat No. 75, 77, 78, 79, 94 to 96, 132, 150, 151, 152, 149, 9, 13, 140 to 147, 135 to 138, 129, 128, 112, 113, 124, 116 to 118, Village Umbarkheda's Gat no. 48, 49, 50, 53, 52, 63, 65, 51, Village Dhamni Khurd's Gat No. 67, 62, 68, 53, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 36 Village Nagapur's Gat No. 205, 199 to 203, 195, 185 to 191, 177 to 180, 171 to 174, Village Khatkheda's Gat No. 153, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, Forest Compartment No 76, Village Sakharvel's Gat No 137, Village Wasadi's Gat No. 164, 165, 167 to 169, 171, 172, 173, 175, 176, 181, 198, 199, 208, 209, 210, 211, 16, 17, 45, 46, 48, 49, 57, 56, 51, 55, 50, 47, 44, 43, 37, 19, 36, 33, 28, 27, 20, 21, 22, 26, 25, 575, 571, 569, 568, 435, 436, 378, 381, 382, 387, 426, 425, 427, 428, 429, 430, Village Mehgaon's Gat No. 258, 12, 13, 264, 10, 82, 73, 75, 78, 279, 86, 88, 109, 106, 108, 134, 139, 95, 282, 203, 212, 187, 186, 184, 181 of Tehsil.Kannad, District Aurangbad, .Aurangabad Forest Division.
South	Village Hasta's Gat No. 78, 79, 82, 83, 30, 36, 43, 38, 37, 26, 27, 25, 23, 22, 1, 379, 358, 361, 354, 353, 327, 326, 324, 316, 312, 310, 311, 318, 308, 319, 320, 306, 302, 301, 300, 297, 298, 299, 244, 245, 248, 249, 252, 253, 231, 230, 221, 222, 224, 225, 226, Forest Compartment No. 64, Village Hiwarkheda Khurd's Forest Compartment No 167, GAt No. 52 Village Kunjkheda's Gat No. 71, 20, 19, 18, 22, 21, 24, 13, 25, 11, 10, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 45, 1, 2, 3, 122, 123, 118, Village Dobhadi's Gat No. 143, 144, 145, 147, 140, 135, 93, 97, 98, 80, 76, 75, Village Rithhi's Gat No. 15, 17, 37, 36, 49 ,45, 44, 43, 41, 95, 94, 87, 82, 81, 80, 77, 78, 79, 64, 65, 63, 55, 56, 57, 58, 61, Village Kannad's Gat NO. 63, 18, 19, 23, 22, 27, 115, 116, 118, 121, Village Narsingpur's 27,28, Village Bhramni Garada's Gat No. 3, 4, 5, 6, 104, 103, 105,106, 112, 118, 158, 124, 150, Village Hiwarkheda Gautala's Gat No. 32, 31, 44, 45, 43, 47, Village Andhanear's Gat No. 96, 94, 93, 122, 124, 40, 41, 42, 24, Village Telwadi's Gat NO. 61, 60, 49, 48, 47 Village Satkund Tanda's Gat No. 68, 69, 74, 75, 76, 78, 13, 8, 25, 27, 42, 53, 54, 52, 51, 81, 80, 82, 83, 84,1 Village Upla's Gat No. 39 to 43, 50, 35, 34, 33, 67, 68, 142, 147, 146, 191, 189, 187, 185, 184, 183, 186, 185, 156, 157, 158, 177,178, 179,180,181, Village Amba's Gat No. 63, 54, 53, 52, 50, 49, 47, 55, 44, 43, 42, 40, 41, 39, 78, 79, 80, 77, 76, 84, 231, 232, 233, 235, 242, 243, 241, 240, 252, 258, 225, 238, 236, 229, 228, 227, 226, 22388, 87, 12, 10, 14, 104, 108, 107, 106, 120, 126, 130, 131, Village Mudwadi's Gat No. 351, 350, 296, 295, 294, Village Jamdi Ghat's Gat No. 56, 54, 53, 41, 42, 43, 44, 33, 34, 35, Village Wadnear's Gat No. 48, 49, 8, 9, 10, 50, Village Wadnear's Tanda Gat No. 75, 76, 77, 1, 2, 3, 127, 128, 130, 131,132,133, village Kalanki's Forest Compartment 122, 120, Gat No. 189, 188, 177, 176, 175, 174, 173, 166, 165, 1, 12, 13, 14, 15, 18, 23, 24, 25, 27, 30, 29, 28, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 253, 255, 248, 250, 251, 247, 255, 232, 231, 230, 223, 224, 225, 226, 229, Village Tandulwadi's Forest Compartment No. 325, Village Chivali's Gat No. 45, 44, 36, 37, 38, 2, 3, 5, 9, 18, 19, 20, 21, 25, 22, 23, of Tehsil Kannad

	District Aurangabad in Aurangabad Forest Division. Village Gujardari's Gat No. 13 to 23 of Tehsil Chalisgaon.Jalgaon District Jalgaon Forest Division.
West	Village Rajdehre's Forest Compartment No. 2, 6, 8 & Gut No. 17, 20, 65, 67, 62, 59, 57, 56, of Tehsil Chalisgaon of Jalgaon Forest Division District Jalgaon

Annexure II

List of Villages falling within the Eco-sensitive Zone of Gautala Autramghat Wildlife Sanctuary

Sr. No.	Village Name	Latitude	Longitude	Sr No.	Village Name	Latitude	Longitude
1	Chiwali	20° 16' 07.587"	74° 56' 52.270"	17	Kasabe Kannad	20° 15' 16.193"	75° 10' 09.918"
2	kalanki	20° 16' 50.758"	74° 59' 25.137"	18	Dobhadi	20° 15' 00.390"	75° 10' 39.284"
3	Wadner tanda	20° 16' 49.853"	75° 01' 01.079"	19	Kunjkheda	20° 15' 09.631"	75° 11' 38.868"
4	wadner	20° 16' 51.883"	75° 01' 49.613"	20	Nandgirwadi	20° 15' 57.154"	75° 13' 08.579"
5	Jamdi Ghat	20° 16' 53.830"	75° 02' 27.619"	21	Hasta	20° 17' 13.487"	75° 13' 33.159"
6	Amba	20° 17' 39.994"	75° 02' 01.483"	22	Tapowan	20° 19' 17.195"	75° 12' 22.022"
7	Ambala	20° 18' 29.151"	75° 00' 54.364"	23	Nimbhora	20° 19' 05.054"	75° 13' 44.611"
8	Upla	20° 18' 33.277"	75° 03' 53.356"	24	Mehegaon	20° 17' 26.965"	75° 15' 32.397"
9	Bhambarwadi	20° 19' 19.308"	75° 04' 22.808"	25	Wasdi	20° 18' 23.188"	75° 15' 20.871"
10	Sathkund tanda	20° 18' 16.086"	75° 06' 11.571"	26	Dhamni Bk	20° 20' 20.421"	75° 15' 12.846"
11	Andhaner	20° 17' 55.963"	75° 06' 52.687"	27	Sawargaon	20° 21' 07.626"	75° 13' 51.304"
12	Hiwarkheda	20° 17' 49.159"	75° 07' 44.224"	28	Umbharkheda	20° 21' 20.004"	75° 13' 03.809"
13	Gavtala	20° 18' 31.969"	75° 08' 27.759"	29	Ambegoan kd	20° 22' 24.644"	75° 14' 36.967"
14	Brambhani Garda	20° 18' 09.585"	75° 09' 02.454"	30	Wadichimnapur	20° 22' 42.304"	75° 14' 36.836"
15	Rithi	20° 16' 21.762"	75° 09' 53.612"	31	Chimnapur	20° 23' 12.708"	75° 14' 44.221"
16	Moharda	20° 15' 39.934"	75° 10' 10.902"	32	Kholapur	20° 24' 17.404"	75° 15' 03.062"

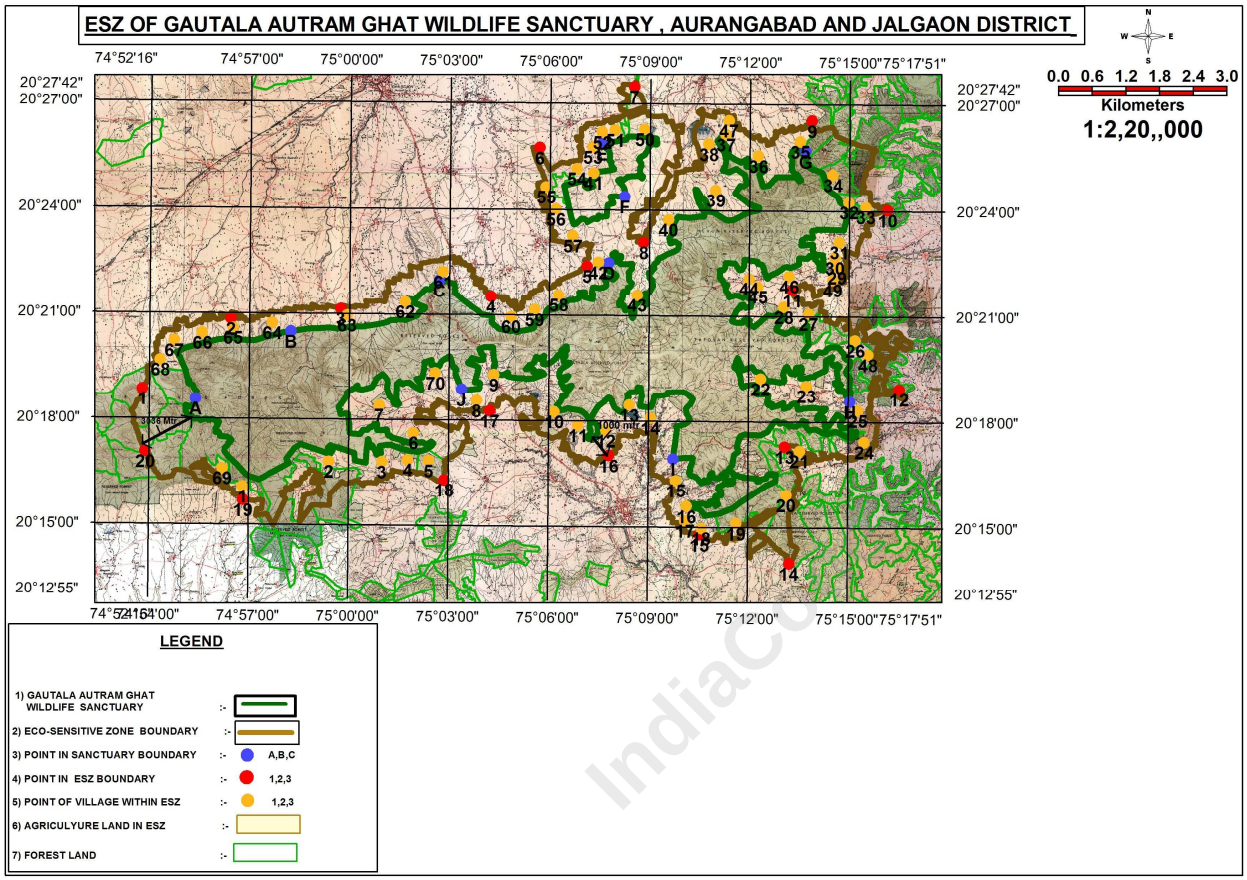
IndiaCode

33	Shipghat	20° 24' 11.500"	75° 15' 28.862"	52	Konganagar	20° 26' 16.830"	75° 07' 31.351"
34	Kaldari	20° 25' 02.990"	75° 14' 29.358"	53	Vaghale	20° 25' 50.235"	75° 07' 16.929"
35	Bhopewadi	20° 26' 01.101"	75° 13' 30.380"	54	Hatale	20° 25' 16.356"	75° 06' 47.346"
36	Lonza	20° 25' 38.504"	75° 12' 12.638"	55	Bangaon	20° 24' 44.486"	75° 05' 50.821"
37	Bormal tanda	20° 26' 11.804"	75° 11' 19.149"	56	Songaon	20° 24' 03.823"	75° 06' 15.156"
38	Wadgaon	20° 25' 56.679"	75° 10' 46.479"	57	Lonje	20° 23' 17.114"	75° 06' 43.050"
39	Harswadi	20° 24' 36.171"	75° 10' 56.470"	58	Ambehol	20° 21' 37.057"	75° 06' 21.041"
40	Saigavan	20° 23' 48.701"	75° 09' 36.058"	59	Pathraje	20° 21' 10.224"	75° 05' 34.445"
41	Hasnabad	20° 25' 07.207"	75° 07' 19.619"	60	Talode	20° 21' 01.074"	75° 04' 51.215"
42	Shiv Tanda	20° 22' 32.733"	75° 07' 27.893"	61	Bodhare	20° 22' 15.200"	75° 02' 46.520"
43	Bhildari Nagad	20° 21' 38.622"	75° 08' 42.070"	62	Shivapur	20° 21' 23.912"	75° 01' 39.657"
44	Mehun Purnwadi	20° 22' 05.944"	75° 12' 01.426"	63	Chandika wadi	20° 21' 00.480"	74° 59' 56.280"
45	Rampurwadi	20° 21' 55.550"	75° 12' 14.966"	64	Patna	20° 20' 47.274"	74° 57' 42.388"
46	Umbharkheda tanda	20° 22' 11.388"	75° 13' 12.201"	65	Odhare	20° 20' 37.329"	74° 56' 32.841"
47	Pangra	20° 26' 36.126"	75° 11' 24.817"	66	Vishnunagar	20° 20' 30.252"	74° 55' 37.314"
48	Khatkheda	20° 19' 59.885"	75° 15' 37.719"	67	Kharadi	20° 20' 16.572"	74° 54' 44.776"
49	Ambegaon Bk	20° 22' 03.090"	75° 14' 32.444"	68	Rajdehare	20° 19' 43.811"	74° 54' 21.091"
50	Jamdi	20° 26' 22.380"	75° 08' 53.277"	69	Gujardari	20° 16' 37.076"	74° 56' 13.395"
51	Jawale	20° 26' 19.769"	75° 07' 56.504"	70	Junune	20° 19' 21.256"	75° 02' 35.133"

IndiaCode

Annexure III

Map of Eco-sensitive Zone of Gautala Autramghat Wildlife Sanctuary along with Coordinates of Prominent Locations



Details of Geo-coordinates of Gautala Autramghat Wildlife Sanctuary

Sr. No.	Latitude	Longitude
A	20° 18' 32.891"	74° 55' 21.574"
B	20° 20' 30.381"	74° 58' 12.075"
C	20° 22' 02.199"	75° 02' 41.731"
D	20° 22' 32.601"	75° 07' 47.408"
E	20° 25' 58.293"	75° 07' 30.823"
F	20° 24' 23.616"	75° 08' 14.501"
G	20° 25' 41.547"	75° 13' 47.898"
H	20° 18' 34.597"	75° 15' 05.672"
I	20° 16' 53.921"	75° 09' 45.727"
J	20° 18' 56.024"	75° 03' 20.618"

Details of Geo-coordinates of Eco-sensitive Zone of Gautala Autramghat Wildlife Sanctuary

Sr. No.	Latitude	Longitude
1	20° 18' 50.721"	74° 53' 47.744"
2	20° 20' 50.067"	74° 56' 26.805"
3	20° 21' 07.705"	74° 59' 44.878"
4	20° 21' 30.551"	75° 04' 15.505"
5	20° 22' 25.158"	75° 07' 06.770"

6	20° 25' 43.750"	75° 05' 39.518"
7	20° 27' 29.787"	75° 08' 30.451"
8	20° 23' 04.601"	75° 08' 49.090"
9	20° 26' 32.968"	75° 13' 49.947"
10	20° 24' 02.804"	75° 16' 08.767"
11	20° 21' 44.300"	75° 13' 17.557"
12	20° 18' 55.136"	75° 16' 32.011"
13	20° 17' 18.403"	75° 13' 04.041"
14	20° 14' 00.173"	75° 13' 14.537"
15	20° 14' 46.286"	75° 10' 32.602"
16	20° 17' 00.631"	75° 07' 47.932"
17	20° 18' 15.561"	75° 04' 15.139"
18	20° 16' 17.365"	75° 02' 51.071"
19	20° 15' 42.415"	74° 56' 48.634"
20	20° 17' 06.070"	74° 53' 49.594"

Annexure IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attached minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Nishok Kumar Paria
Digitally signed by Nishok Kumar Paria
Date: 2016.12.09 22:56:04 +05'30'

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.